

**उत्तर मध्य रेलवे/प्रधान कार्यालय/इलाहाबाद में स्थानीय खरीद की सामग्रियों की आपूर्ति के लिए फर्मों के पंजीकरण हेतु संक्षिप्त दिशा-निर्देश :-**

उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय में भंडार नियंत्रक के नियंत्रणाधीन भंडार विभाग का स्थानीय खरीद सेक्शन स्थापित है, इस सेक्शन द्वारा रु. 1 लाख तक के मूल्य की छोटी मदों की स्थानीय खरीद की जाती है।

स्थानीय खरीद के माध्यम से रेलवे द्वारा सामान्यतः निम्न प्रकार की मदों की खरीद की जाती है :-

- (i) सामान्य मदें/कार्यालय उपस्कर
- (ii) बिजली/इलेक्ट्रॉनिक मदें
- (iii) फर्नीचर
- (iv) कंप्यूटर हार्डवेयर एवं पेरीफेरल/साफ्टवेयर मदें
- (v) लेखन सामग्री एवं प्रिंटिंग सामग्री आदि।

हालांकि ऐसी मदें जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं, उनकी भी खरीद की जा सकती है।

1- फर्म के नए पंजीकरण के लिए प्रक्रिया : भंडार नियंत्रक कार्यालय के स्थानीय खरीद सेक्शन, प्रधान कार्यालय, इलाहाबाद में फर्म के पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण रु.1 लाख तक की आर्थिक सीमा तक ही किया जा सकता है।

2- पंजीकरण के लिए मानदंड :

(क) उत्तर मध्य रेलवे के सभी पंजीकृत स्रोत उनके अनुरोध पर स्थानीय खरीद के लिए स्वतः पंजीकृत स्रोत माने जाते हैं।

(ख) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना आवश्यक है :

- 1- बिक्री कर/व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- 2- टिन नंबर
- 3- टेलीफोन बिल की प्रति (विधिवत जमा किए गए)
- 4- रेलवे/अन्य सरकारी संगठन द्वारा जारी क्रय आदेश की प्रति, यदि उपलब्ध हो।
- 5- पैन
- 3- पंजीकरण अवधि : प्रारंभ में पंजीकरण की अवधि एक वर्ष होगी तथा उसके बाद फर्म के कार्य निष्पादन की समीक्षा के आधार पर नवीनीकरण पर विचार किया जाएगा।
- 4- फर्म का नवीनीकरण : पंजीकरण समाप्ति के नियत समय से छह माह पहले फर्म का नवीनीकरण किया जाएगा। फर्म को आपूर्ति आदेशों के अनुपालन से संबंधित विवरण भेजना होगा।

फर्म को यह साबित करना होगा कि पिछली अवधि के दौरान क्रय मामलों में वह सक्रिय रही है और उसमें भागीदारी निभाई है। उन्हें जारी निविदा पूछताछ के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी जिसमें वह असफल रही है।

फर्म के कार्य निष्पादन/भागीदारी की समीक्षा करने के बाद तीन वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण पर विचार किया जाएगा।

5- फर्म का पंजीकरण निरस्त करना : यदि संबंधित अधिकारी द्वारा फर्म का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो फर्म का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

6- नवीनीकरण के लिए मानदंड :

फर्म को यह साबित करना होगा कि पिछली अवधि के दौरान क्रय मामलों में वह सक्रिय रही है और उसमें भागीदारी निभाई है। उन्हें जारी निविदा पूछताछ के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, जिसमें वह असफल रही है।

सहा. सामग्री

प्रबंधक/निर्माण